पेगासस एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड

55–56,5वीं मंजिल फ्री प्रेस हाउस नरीमन प्वाइंट, मुंबई–400021 टेलीफोन: –022–61884700
ईमेल: sys@pegasus-arc.com यूआरएल: www.pegasus-arc.com

निजी संधि के माध्यम से बिक्री की सूचना

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफेसी अधिनियम) के तहत पेगासस एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को सौंपी गई अचल संपत्तियों की बिक्री

पेगासस एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (पेगासस) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने पेगासस ग्रुप थर्टी–नाइन ट्रस्ट–2 के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में सरफेसी अधिनियम के प्रावधान के तहत धारा 14 के तहत अनुसूची संपत्ति का कब्जा ले लिया है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए नीचे दी गई बंधक संपत्ति को 12.09.2023 को सभी ज्ञात और अज्ञात देनदारियों के साथ "जैसा है जहां है", "जैसा है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर निजी संधि के माध्यम मेसर्स एम्ब्रोसिया अपैरल्स, गारंटर/सह–उधारकर्ता– श्रीमती प्रतिभा डिमरी (मालिक एवं सह–उधारकर्ता), श्री चंद्र मोहन डिमरी (सह–उधारकर्ता) से पेगासस एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के 11/08/2023 के अनुसार मेसर्स एम्ब्रोसिया अपैरल्स से बकाया रु. 47,14,263.85/– (रुपये सैंतालीस लाख चौदह हजार दो सौ तिरसठ और पचासी पैसे मात्र) प्लस 12/08/2023 से प्रभावी ब्याज एवं लागत, शुल्क और उस पर खर्च की वसूली के लिए से विक्रय किया जाएगा। आरक्षित मूल्य रुपये 39,61,000/– (केवल उन्तालीस लाख इकसठ हजार रुपये) होगा और बयाना राशि रुपये 3,96,100/– (तीन लाख छियानवे हजार एक सौ रुपये मात्र) होगी।

व्यापक पैमाने पर आम जनता को सूचित किया जाता है कि अनुसूची में उल्लिखित सुरक्षित संपत्ति पेगासस से सहमत शर्तों के अनुसार, निजी संधि के माध्यम से बिक्री के लिए उपलब्ध है।

निजी संधि के माध्यम से संपत्ति की बिक्री के लिए मानक नियम और शर्तें इस प्रकार हैं:

1. निजी संधि के माध्यम से बिक्री "जैसा है जहां है के आधार पर" और "जैसा है जो है के आधार पर" और "जो कुछ भी है" के आधार पर होगी।
2. क्रेता को आवेदन के साथ प्रस्तावित राशि का 10: जमा करना होगा जिसे नीचे दिए गए खंड (3) के अनुसार जमा राशि के 25% के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।
3. क्रेता को संपत्ति की खरीद के प्रस्ताव की पेगासस स्वीकृति की प्राप्ति के अगले कार्य दिवस पर बिक्री प्रतिफल का 25% और उसके बाद 15 दिनों के भीतर शेष राशि जमा करनी होगी। (पेगासस अपने विवेक से 15 दिन का समय बढ़ा सकता है और किसी भी स्थिति में यह तीन महीने से अधिक नहीं होगा।)
4. उपरोक्त खंड (3) के तहत आवश्यक राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर आवेदन के साथ भुगतान की गई राशि का 10% सहित पहले से भुगतान की गई राशि जब्त कर ली जाएगी।
5. पेगासस द्वारा क्रेता के प्रस्ताव को स्वीकार न करने की स्थिति में, आवेदन के साथ भुगतान की गई 10% राशि बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी।
6. संपत्ति सभी मौजूदा और भविष्य के भार, चाहे पेगासस को ज्ञात हो या अज्ञात, के साथ बेची जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता किसी भी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/बकाया के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।
7. बोलियां ऑफ़लाइन/आवेदन के माध्यम से हमारे कॉर्पोरेट कार्यालय पते : पेगासस एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड 55–56, 5वीं मंजिल, फ्री प्रेस हाउस, नरीमन प्वाइंट, मुंबई 400021 पर जमा की जाएंगी। बोलियां 11.09.2023 को शाम 4.00.00 बजे तक या उससे पहले जमा की जानी चाहिए। ईमेल पता: nitin@pegasus-arc.com / surender@pegasus-arc.com पर बोली लगाने वाले को उपरोक्त के अलावा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पते के प्रमाण की प्रति, कंपनी के मामले में, कंपनी के निदेशकों के बोर्ड द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति जमा करनी होगी।
8. बिक्री पेगासस से पुष्टि के अधीन है। यदि उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर बिक्री की तारीख से पहले पेगासस के बकायों की पूरी राशि का भुगतान करते हैं, तो कोई बिक्री नहीं की जाएगी।
9. इच्छुक बोलीदाताओं को उपरोक्त ईएमडी को "पेगासस ग्रुप थर्टी नाइन ट्रस्ट 2" के पक्ष में मुंबई में देय डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर या खाता संख्या 409819116155, खाते का नाम: –पेगासस ग्रुप थर्टी नाइन ट्रस्ट 2, बैंक का नाम: आरबीएल बैंक लिमिटेड, शाखा कार्यालय: भूतल, मित्तल कोर्ट, 224 नरीमन प्वाइंट, मुंबई–400021, एमआईसीआर कोड: 400176023, आईएफएससी कोड: RATN0000155 के खाते में एनईएफटी/फंड ट्रांसफर /आरटीजीएस द्वारा ईएमडी के माध्यम से ऊपर उल्लिखित तिथि और समय पर या उससे पहले जमा करना होगा।
10. क्रेता को अपनी संतुष्टि के लिए संपत्ति (निजी संधि के माध्यम से बिक्री के तहत) से संबंधित सभी पहलुओं पर उचित परिश्रम करना चाहिए। क्रेता इस संबंध में बाद की तारीख में प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता के विरुद्ध कोई दावा करने का हकदार नहीं होगा।
11. क्रेता सुरक्षित संपत्ति के खिलाफ लंबित मुकदमे पर उचित परिश्रम करेगा, क्रेता बाद की तारीख में इस संबंध में अधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार के खिलाफ कोई दावा करने का हकदार नहीं होगा।
12. पेगासस बिना कोई कारण बताए खरीद के किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
13. यदि कोई बोलीदाता आरक्षित मूल्य (अर्थात रु.39,61,000/–) और या उससे अधिक के अनुरूप अपनी बोली प्रस्तुत करता है, तो पेगासस इच्छुक पार्टियों के बीच एक पारस्परिक बोली आयोजित करेगा और और बिक्री उच्चतम बोली लगाने वाले के पक्ष में कर दी जाएगी।
14. क्रेता को संपत्ति की खरीद के संबंध में सभी स्टांप शुल्क, पंजीकरण शुल्क और अन्य खर्च, कर, शुल्क वहन करना होगा।
15. बिक्री सरफेसी अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के अनुसार होगी।
16. इच्छुक पार्टियां अधिक विवरण/स्पष्टीकरण और अपना आवेदन जमा करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क कर सकती हैं। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए कृपया सुरक्षित लेनदारों की वेबसाइट यानी "www.pegasus-arc.com" पर दिए गए लिंक को देखें और आप श्री नितिन कश्यप–8447636680 श्री सुरेंद्र सिंह–8947960010 से संपर्क कर सकते हैं।

अनुसूची

संपत्ति का विवरण

"एमआईजी फ्लैट नं. एफ–1, पहली मंजिल (बिना छत के अधिकार के), प्लॉट नं. 9/68, जज कॉलोनी, वैशाली गाजियाबाद (यूपी)–201001, क्षेत्रफल 474.89 वर्ग मीटर"।

आरक्षित मूल्य (रुपये) (जिसके नीचे संपत्तियां नहीं बेची जाएंगी)	रु. 39,61,000/– (रुपए उन्तालीस लाख इकसठ हजार मात्र)
बयाना राशि	रु. 3,96,100/– (तीन लाख छियानवे हजार एक सौ रुपये मात्र)

यह प्रकाशन प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) और 9(1) के तहत उधारकर्ताओं/गारंटरों के लिए 'पंद्रह दिन' का नोटिस भी है।

दिनांक: 22/08/2023 — **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान: गाजियाबाद (यू.पी.) — **पेगासस एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (पेगासस ग्रुप थर्टी–नाइन ट्रस्ट 2 के लिए ट्रस्टी)**

ऊनो मिंडा लिमिटेड

(पूर्व की मिंडा इण्डस्ट्रीज लिमिटेड)
(सीआईएन : L74899DL1992PLC050333)
पंजीकृत कार्यालय : बी–64/1, वजीरपुर इण्डस्ट्रियल एरिया, दिल्ली–110052
कॉर्पोरेट कार्यालय : ग्राम नवादा फतेहपुर, आरओ. सिकन्दरपुर बद्दा, निकट आईएमटी मानेसर, गुरुग्राम (हरियाणा)–122004
वेबसाइट : www.unominda.com, ई–मेल : investor@unominda.com
दूरभाष : +91 11 4937 3931, +91 124 2290 427 फैक्स : +91 124 2290676

UNO MINDA — DRIVING THE NEW

ऊनो मिंडा लिमिटेड (पूर्व में मिंडा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से) की 31वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') के बारे में जानकारी

1. कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') एवं सेबी द्वारा जारी सामान्य परिपत्र क्रमांक 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल 2020, सामान्य परिपत्र क्रमांक 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020, सामान्य परिपत्र क्रमांक 20/2020 दिनांक 5 मई 2020, सामान्य परिपत्र क्रमांक 02/2021 दिनांक 13 जनवरी 2021, सामान्य परिपत्र 2/2022 दिनांक 5 मई 2022, सामान्य परिपत्र 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर 2022, सामान्य परिपत्र 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर 2022 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ('सेबी') (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 और सेबी द्वारा जारी अन्य लागू परिपत्र (सामूहिक रूप से 'प्रासंगिक परिपत्र' सन्दर्भित) के सभी लागू प्रावधानों के अनुपालन में एजीएम बुलाने वाले नोटिस में निर्धारित व्यवसायों को संचालित करने के लिए कंपनी की 31वीं वार्षिक आम बैठक बुधवार, 20 सितंबर, 2023 को सुबह 10:30 बजे (**भा.मा.स.**) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') /अन्य ऑडियो–विजुअल साधनों ('**ओएवीएम**') के माध्यम से आयोजित की जाएगी। सदस्य वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकेंगे या https://www.evoting.nsdl.com पर लाइव वेबकास्ट देख सकेंगे। वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम के प्रयोजन के लिए गिना जाएगा।
2. प्रासंगिक परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए बोर्ड की रिपोर्ट और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ एजीएम और स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरणों की सूचना कंपनी के उन सभी सदस्यों को भेजी जाएगी जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास पंजीकृत हैं। उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट https://www.unominda.com/, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com और स्टॉक की वेबसाइट एक्सचेंज, यानी, बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होंगे।
3. **ईमेल पते को पंजीकृत/अद्यतन करने का तरीका:**
   जिन सदस्यों के पास भौतिक रूप में शेयर हैं और जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ईमेल पते अपडेट नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे सदस्य के फोलियो नंबर, नाम और पते, शेयर प्रमाणपत्र (आगे और पीछे) की स्कैन कॉपी, पैन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति, और सदस्य के पते के समर्थन में कोई भी दस्तावेज (जैसे: आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, चुनाव पहचान पत्र, पासपोर्ट) का उल्लेख करते हुए हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की प्रति के साथ कंपनी को पत्र लिखकर अपने ईमेल पते अपडेट करें।
   यदि सदस्य डिमटेरियलाइज्ड मोड में शेयर धारित करते हैं तो उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे डीपीआईडी–सीएलआईडी (16 अंक डीपीआईडी+ सीएलआईडी या 16 अंक लाभार्थी आईडी) नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन कार्ड की स्व–सत्यापित प्रति, और सदस्य के पते के समर्थन में किसी दस्तावेज (जैसे: आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, चुनाव पहचान पत्र, पासपोर्ट) की प्रति का उल्लेख करते हुए हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की प्रति के साथ कंपनी को लिखकर अपने ईमेल पते को अस्थायी रूप से अपडेट करें।
   सदस्यों द्वारा उक्त अनुरोध 25 अगस्त, 2023 को या उससे पहले कंपनी को investor@unominda.com पर भेजा जाएगा। ई–मेल पते को पंजीकृत करने में किसी भी प्रश्न / कठिनाइयों के मामले में, सदस्य investor@unominda.com को लिख सकते हैं।
4. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने की अंतिम तिथि 13 सितंबर, 2023 है;
   i. रिमोट ई–वोटिंग शुक्रवार, 15 सितंबर, 2023 (सुबह 9:00 बजे भा.मा.स.) से शुरू होगी;
   ii. रिमोट ई–वोटिंग मंगलवार, 19 सितंबर, 2023 (शाम 5:00 बजे भा.मा.स.) को समाप्त होगी;
5. **वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने की प्रक्रिया:**
   i. सदस्यों को एनएसडीएल ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। सदस्य ई–वोटिंग क्रेडेंशियल का उपयोग करके सदस्य लॉगिन के तहत https://www.evoting.nsdl.com पर इसे एक्सेस कर सकते हैं। सफल लॉगिन के बाद सदस्य कंपनी के नाम के सामने **"Join General Meeting"** मेनू के अंतर्गत **"VC/OAVM link"** का लिंक देख सकते हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि **"Join General Meeting"** मेनू के अंतर्गत **"VC/OAVM link"** लिंक पर क्लिक करें। वीसी/ओएवीएम का लिंक **Shareholder/Member login** में उपलब्ध होगा जहां कंपनी का ईवीईएन प्रदर्शित किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि जिन सदस्यों के पास ई–वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या वे यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे एजीएम के नोटिस में उल्लिखित ई–वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।
   ii. सदस्य नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले और बाद में वीसी/ओएवीएम मोड में एजीएम में शामिल हो सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भागीदारी की सुविधा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 1000 सदस्यों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बड़े शेयरधारक (2% या अधिक शेयरधारिता रखने वाले शेयरधारक), प्रमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, ऑडिट समिति के अध्यक्ष, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति, लेखा परीक्षक आदि शामिल नहीं होंगे, जिन्हें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बिना किसी प्रतिबंध के एजीएम में भाग लेने की अनुमति है।
6. कंपनी के निदेशक मंडल ने 18 मई, 2023 को हुई अपनी बैठक में 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 2 रुपये अंकित मूल्य के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 1 रुपये के लाभांश के भुगतान की सिफारिश की, बशर्ते कि एजीएम में सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त हो। लाभांश, यदि सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो लाभांश प्राप्त करने के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने के लिए रिकॉर्ड तिथि यानी 31 अगस्त, 2023 को कंपनी के इक्विटी शेयर धारक सदस्यों को भुगतान किया जाएगा। उन सदस्यों को, जिन्होंने अपने बैंक खातों को अपने संबंधित डीपी या कंपनी के साथ पंजीकृत किया है, लाभांश का भुगतान सीधे उक्त बैंक खाते में ऑनलाइन किया जाएगा। अन्य सदस्यों के लिए लाभांश के भुगतान के लिए 'पेबल–एट–पार' वारंट या चेक जारी किए जाएंगे।
   भविष्य में लाभांश के लिए, डीमैट रूप में कंपनी के इक्विटी शेयर धारक सदस्यों और जिन्होंने अपने बैंक विवरण पंजीकृत/अद्यतन नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने बैंक खाते के विवरण पंजीकृत करने के लिए अपने संबंधित डीपी से संपर्क करें। कंपनी के इक्विटी शेयर भौतिक रूप में रखने वाले सदस्य और जिन्होंने अपने बैंक विवरण पंजीकृत नहीं किए हैं, वे इस लिंक https://linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html पर क्लिक करके और उसमें बताए अनुसार पंजीकरण प्रक्रिया का पालन करके लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ अपने बैंक विवरण पंजीकृत कर सकते हैं। इसके अलावा, सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने वैध पैन को अपने संबंधित डीपी (यदि शेयर डीमटेरियलाइज्ड रूप में रखे गए हैं) और कंपनी (यदि शेयर भौतिक रूप में रखे गए हैं) के साथ अपडेट करें।
   आयकर अधिनियम, 1961, ('आईटी अधिनियम') के प्रावधानों के अनुसार, लाभांश आय सदस्यों के हाथों कर योग्य होगी और कंपनी को भुगतान किए गए लाभांश से निर्धारित दर पर स्रोत पर कर काटने की आवश्यकता होगी। निर्धारित दरों के लिए, स्रोत पर कर की कटौती सदस्यों की आवासीय स्थिति और वर्गीकरण, कंपनी द्वारा प्रस्तुत और स्वीकार किए गए दस्तावेजों पर आधारित होगी। सदस्यों को विस्तृत सूचना पहले ही उन सदस्यों को भेज दी गई थी जिनकी ई–मेल आईडी कंपनी और डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट पर भी इसका खुलासा किया गया है:

बीएसई	https://www.bseindia.com/xml-data/corpfiling/AttachLive/e2d6e725-7da6-4e27-bae3-13357496e2da.pdf
एनएसई	https://archives.nseindia.com/corporate/UNOMINDA_21082023182228_communication_to_shareholders_WHT_docs.pdf

7. जिन सदस्यों को एजीएम से पहले या उसके दौरान प्रौद्योगिकी के उपयोग से सहायता की आवश्यकता है, वे evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 1800–1020–990 और 1800–224–430 का उपयोग कर सकते हैं।
8. संस्थागत सदस्यों को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और मतदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यदि किसी संस्थागत सदस्य को एजीएम में भाग लेने में दिक्कत आ रही है तो वह **investor@unominda.com** और **evoting@nsdl.co.in** पर लिख सकता है।
9. किसी भी प्रकार की कनेक्टिविटी संबंधी गड़बड़ियों को कम करने के लिए स्थिर वाई–फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है।
10. सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम के नोटिस में दिए गए सभी नोट्स और विशेष रूप से, एजीएम में शामिल होने के निर्देश, रिमोट ई–वोटिंग या एजीएम के दौरान ई–वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के तरीके को ध्यान से पढ़ें।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते ऊनो मिंडा लिमिटेड
(पूर्व में मिंडा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से)
हस्ता./–
तरूण कुमार श्रीवास्तव
कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

स्थान: गुरूग्राम, हरियाणा
दिनांक: 22 अगस्त, 2023

साइज़मास्टर्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड

(पूर्व में मेवात जिंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
कॉर्पोरेट पहचान संख्या: L74110DL1991PLC046120
पंजीकृत कार्यालय: क्रमांक 4873/5 एसएफ फाटक नमक हौज काजी दिल्ली सेंट्रल दिल्ली डीएल 110006, भारत, टेलीफोन नं. 011–23234316,
ईमेल आईडी: sizemasterscompliance@gmail.com, वेबसाइट: www.mewatzinc.com

30वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, बुक क्लोजर और रिमोट ई–वोटिंग सूचना

एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि साइजमास्टर्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड (पूर्व में मेवात जिंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के सदस्यों की 30वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम), वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो विजुअल साधन ("ओएवीएम") के माध्यम से गुरुवार, 21 सितंबर, 2023 को अपराह्न 03.00 बजे (आईएसटी) ,एजीएम के नोटिस में निर्धारित किए साधारण कार्यवाही को करने के लिए आयोजित होने वाली है।

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) (सामूहिक रूप से "प्रासंगिक परिपत्र" के रूप में जाना जाता है) द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों के अनुपालन में, प्रासंगिक परिपत्रों के अनुसार, कंपनी ने बैठक की सूचना, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट और उन सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड में दूरस्थ ई–वोटिंग विवरण भेज दिया है, जिनकी ई–मेल आईडी कंपनी/ आरटीए/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। शेयरधारकों को नोटिस के ईमेल के पूरा होने की तारीख 21 अगस्त, 2023 है।

यदि आपने कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, तो कृपया वित्त वर्ष 2022–23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने और ई–वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण प्राप्त करने के लिए अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत करने के लिए नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें।

भौतिक रूप में धारिता : कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंटों को अपना फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई कॉपी (सामने और ईमेल पते को पंजीकृत करने के लिए वापस), पैन (पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन की गई प्रति) प्रदान करते हुए निविस कॉर्पसर्व एलएलपी को info@nivis.co.in पर अनुरोध भेजें या 011–45201005 पर संपर्क करें।

डीमैट रूप में धारिता: कृपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) से संपर्क करें और डीपी द्वारा सलाह दी गई प्रक्रिया के अनुसार अपना ईमेल पता पंजीकृत करें।

ये दस्तावेज़ सदस्यों द्वारा डाउनलोड करने के लिए कंपनी की वेबसाइट www.mewatzinc.com पर भी उपलब्ध हैं। संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों तथा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमों , 2015 के विनियम 44 के अनुपालन में नोटिस दिया जाता है कि कंपनी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट डालने में सक्षम बनाने के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा अपने पोर्टल

www.nsdl.co.in के माध्यम से सभी व्यवसाय करने के लिए ई–वोटिंग सुविधा की पेशकश की गई है। रिमोट ई–वोटिंग की अवधि रविवार, 17 सितंबर, 2023, सुबह 09:00 बजे (भा मा स) से शुरू होगी और बुधवार, 20 सितंबर, 2023, शाम 05:00 बजे (भा मा स) समाप्त होगा। उक्त तिथि और समय के बाद किसी भी ई–वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस अवधि के दौरान कंपनी के सदस्य, जिनके पास 15 सितंबर, 2023 की कट–ऑफ तारीख तक शेयर भौतिक रूप में या डीमटेरियलाइज्ड रूप में हैं, वे रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल सकते हैं। कोई भी व्यक्ति, जो शेयर प्राप्त करता है और नोटिस भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट ऑफ तिथि यानी 15 सितंबर, 2023 तक शेयर रखता है, वह evoting@nsdl.co.in;k आरटीए, निविस कॉर्पसर्व एलएलपी info@nivis.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालाँकि, यदि सदस्य रिमोट ई–वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं तो वे अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद एनएसडीएल द्वारा वोटिंग के लिए रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक बार सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डाल दिए जाने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान करने की सुविधा एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी और जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे। रिमोट ई–वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना के साथ भेजे गए पत्र में शामिल है। ई–वोटिंग से संबंधित कोई भी प्रश्न/शिकायत साइज़मास्टर्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड (पूर्व में मेवात जिंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) की कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी सुश्री ऐश्वर्या परवाल को ईमेल: sizemasterscompliance@gmail.com पर भेजा जा सकता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 42 के अनुसार यह नोटिस भी दिया जाता है कि सदस्यों का रजिस्टर वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों का रिकॉर्ड लेने के उद्देश्य से कंपनी की शेयर ट्रांसफर पुस्तकें शुक्रवार, 15 सितंबर, 2023 से गुरुवार, 21 सितंबर, 2023 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगी।

कृते साइजमास्टर्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड
(पूर्व में मेवात जिंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
हस्ता /– गोपाल ज़वर
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 09537969

स्थान: पुणे
दिनांक: 22 अगस्त, 2023

प्रपत्र सं. आईएनसी–26

[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]
एक राज्य से दूसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए विज्ञापन
केन्द्र सरकार उत्तरी क्षेत्र बी–2 विंग, 2रा तल, पं. दीन दयाल अन्त्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003
कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 की उप–धारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में तथा

बिल्लिस टावर्स वाटसन इन्डिया इन्श्युरैन्स ब्रॉकर्स प्राइवेट लिमिटेड जिसके पंजीकृत कार्यालय : भूतल एवं प्रथम तल, वर्ल्ड मार्क 1, एसेट एरिया 11, एयरोसिटी हॉस्पिटैलिटी डिस्ट्रिक्ट, इन्दिरा गांधी इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली–110037 में है, के मामले में

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "रा. रा. क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए गुरुवार 27 जुलाई, 2023 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह आवेदक कंपनी केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए–21 पोर्टल (**www.mca.gov.in**) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र बी–2 विंग, 2रा तल, पं. दीन दयाल अन्त्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली–110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:

भूतल एवं प्रथम तल, वर्ल्ड मार्क 1, एसेट एरिया 11, एयरोसिटी हॉस्पिटैलिटी डिस्ट्रिक्ट, इन्दिरा गांधी इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली, नई दिल्ली–110037

कृते एवं के लिये
बिल्लिस टावर्स वाटसन इंडिया इन्श्युरैन्स ब्रॉकर्स प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता./– विजय कुमार सुरी
प्रबंध निदेशक,
DIN–01516436

तिथि: 23.08.2023
स्थान: नई दिल्ली

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु) नियम 8–(1)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इंफोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लि. के रूप में अभिज्ञात) (आईआईएफएल–एचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यहां इसमें निम्न वर्णित उधारकर्ता/सह–उधारकर्ताओं को सूचना में वर्णित राशि के प्रतिभुगतान हेतु, एक मांग सूचना निर्गत की थी। उधारकर्ता को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का उक्त नियमावली की धारा 13(4) के अंतर्गत उनको प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत कब्जा ग्रहण कर लिया है। उधारकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन–देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन जो होगा, वह यहां इसमें निम्न वर्णितानुसार एक राशि तथा इस राशि पर ब्याज हेतु आईआईएफएल एचएफएल के प्रभाराधीन होगा। उधारकर्ता का ध्यानाकर्षण उस स्थिति में अधिनियम की धारा 13 की उप